

**वित्त मंत्रालय**  
**मांग संख्या 43**  
**प्रत्यक्ष कर**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट, 2004-2005			संशोधित, 2004-2005			बजट, 2005-2006				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
राजस्व	...	1145.98	1145.98	...	1169.93	1169.93	...	1166.00	1166.00		
पूंजी	...	100.00	100.00	...	55.07	55.07	...	82.00	82.00		
जोड़	...	<b>1245.98</b>	<b>1245.98</b>	...	<b>1225.00</b>	<b>1225.00</b>	...	<b>1248.00</b>	<b>1248.00</b>		
<b>आय और व्यय पर</b>											
<b>करों का संग्रहण</b>											
1. आय कर का संग्रहण	2020	...	898.83	898.83	...	917.62	917.62	...	914.53	914.53	
2. निगम कर का संग्रहण	2020	...	138.28	138.28	...	141.17	141.17	...	140.70	140.70	
3. व्यय कर का संग्रहण	2020	...	5.16	5.16	...	5.27	5.27	...	5.25	5.25	
4. ब्याज कर का संग्रहण	2020	...	5.73	5.73	...	5.85	5.85	...	5.83	5.83	
<b>सम्पदा शुल्क, धन कर</b>											
<b>और उपहार कर का संग्रहण</b>											
5. धन कर का संग्रहण	2031	...	91.68	91.68	...	93.59	93.59	...	93.28	93.28	
6. अन्य करों का संग्रहण	2031	...	6.30	6.30	...	6.43	6.43	...	6.41	6.41	
7. तैयार-निर्मित आवास की खरीद											
7.01 कार्यालय भवन	4059	...	80.00	80.00	...	69.00	69.00	...	66.00	66.00	
7.02 आवासीय भवन	4216	...	20.00	20.00	...	16.66	16.66	...	16.00	16.00	
		जोड़	...	100.00	100.00	...	85.66	85.66	...	82.00	82.00
8. आय कर अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण											
8.01 सकल व्यय	4075	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	
8.02 घटाइए-बिक्री प्राप्तियां	4075	...	-2.00	-2.00	...	-32.59	-32.59	...	-2.00	-2.00	
		निवल	...	...	...	-30.59	-30.59	...	...	...	
<b>कुल जोड़</b>		...	<b>1245.98</b>	<b>1245.98</b>	...	<b>1225.00</b>	<b>1225.00</b>	...	<b>1248.00</b>	<b>1248.00</b>	

1-6. इस मांग में आयकर विभाग की आवश्यकता के लिए प्रावधान है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए तथा इकट्ठे किए गए सभी प्रत्यक्ष करों अर्थात् आय पर कर (कार्पोरेट क्षेत्र की आय शामिल है), सम्पदा शुल्क, धन कर और उपहार कर संबंधी कार्य को प्रशासित करता है। संग्रहण के प्रयोजनार्थ देश को कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस विभाग में बड़े पैमाने पर अपवंचन के मामलों की छानबीन करने, निरीक्षण, अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन के लिए पृथक निदेशालय भी हैं।

7. यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन के संबंध में तैयार-निर्मित कार्यालय भवनों और तैयार-निर्मित आवासीय भवनों की खरीद से संबंधित है।

8. यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC में यथा परिकल्पित, केन्द्रीय सरकार द्वारा अचल सम्पत्तियों को पूर्वक्रयाधिकार के अनुसार खरीदने से संबंधित है। ऐसे क्रयों का आदेश निर्धारित सीमा से अधिक स्पष्ट प्रतिफल वाली संपत्तियों के संबंध में समुचित प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 के इस अध्याय को 1.7.2002 से समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 2005-2006 के बजट-अनुमान में इन संपत्तियों के अनुरक्षण व ठीक रखने तथा इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पहले से अधिग्रहित संपत्तियों के संबंध में 2005-2006 के लिए सुरक्षा प्रभारों का प्रावधान किया गया है।